IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक पृष्ठभूमि में महिला पुलिस की सहभागिता एवं चुनौतियां

[1]षिखा त्रिवेदी, [2]डॉ. रीना तिवारी

[1]षोधार्थी, सामाजिक विज्ञान (समाजषास्त्र) विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विष्वविद्यालय, करगी रोड़, कोटा, बिलासपुर।

[2]षोध निर्देषिका, सह–प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान (समाजषास्त्र) विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विष्वविद्यालय, करगी रोड़, कोटा, बिलासपुर।

शोध सारांश

देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अमन–चैन बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, जब आप और हम पुलिस से सामना करते हैं, अधिकांश लोग पुलिस के व्यवहार और कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण पुलिस का व्यवहार सामान्य जन के लिए अच्छा नहीं है, बताया जाता है। पुलिस की कार्यशैली और व्यवहार को संवेदनशील और आम जनता के अनुकूल बनाने के लिए लगातार महिला कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। इस दिशा में काम करते हुए, सरकार ने 2009 में केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल में निर्धारित कुल पदों में से 33 प्रतिशत को महिला पुलिसकर्मियों से भरने का आदेश दिया था।[1] साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी जैसे– वर्तमान भारत में सभी विधायकों (विधायकों और सांसदों) में कम से कम 33 प्रतिशत महिला कार्यकर्त्ता है। राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है। यह अधिनियम महिलाओं को लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में कुल सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन का लक्ष्य नीतिनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति और विधानमंडल सदस्यों की संख्या के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या इस बात का सही अनुमान देती है कि ये संस्थाएँ जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसमें महिला सहभगिता के महत्व को समझा जाता है।

शब्द संकेत– महिला पुलिसकर्मी, महिला सषक्तिकरण, सामाजिक जिम्मेदारी।

I समस्या पर चर्चा और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

हम देख रहे हैं कि महिलाएँ हर क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर काम कर रही हैं, लेकिन 2019 तक पुरुष प्रधान पुलिस बल में 10 प्रतिशत से भी कम महिला पुलिसकर्मी थीं। यह सुखद है कि तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और सिक्किम के सभी सात राज्यों में 10 प्रति0 से अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। पुलिस सेवा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाएगी। पुलिस बल, पुलिस व्यवस्था से तात्पर्य, राज्य द्वारा गठित आधिकारिक व्यक्तियों का एक संगठन है, जो राज्य कानूनों को लागू करता है, संपत्ति की रक्षा करता है और नागरिक अव्यवस्था को नियंत्रित करता है। पुलिस को बल के प्रयोग का कानूनन अधिकार भी है। पुलिस बल राज्य की रक्षा करने वाले सैन्य या अन्य संगठनों से अलग है। हालाँकि, वास्तव में, पुलिस व्यवस्था वर्तमान में अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है।[2] इस लेख में पुलिस सुधार की जरूरत और सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की जाएगी, महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए।

➢ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्र भारत में महिलाएँ समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उभरकर सामने आई हैं, लेकिन पिछले 35 वर्षों में ये बदलाव तेजी से देखे गये हैं। इस दौरान, महिलाओं ने वैश्वीकरण और औद्योगिक क्रांति के बाद पैदा हुई सुविधाओं का लाभ उठाया है। इस बदलाव ने घरेलू, कार्यस्थल और संभवतः बड़े पैमाने पर समाज में लैंगिक संबंधों को पूरी तरह बदल दिया है। यह 1960 के दशक में अमेरिका में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में हुए बदलावों की तरह है।[3] भारतीय महिलाओं ने अभी तक सक्रिय कार्यबल का हिस्सा बनने की लगभग बहुत अधिक दूरी तय कर ली है। भारतीय महिलाओं ने पुलिस और पैरामिलिट्री जैसे क्षेत्रों में सभी बाधाओं को भी पार कर लिया है।

इसके बावजूद, यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत में नीतिगत स्तर पर पुलिस में महिलाओं की स्थिति और वो भी पुरूष प्रधान समाज में महिला का पुलिस में कार्यरत् होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में सरकार द्वारा महिला पुलिस को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पुलिस को समावेशी, सक्षम और भेदभाव रहित बनाया जा सके। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। पर भारत सरकार की रिर्पोट यह बताती है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, लेकिन यह बल का केवल 7 प्रतिषत ही है। इसी श्रंखला में तमिलनाडु में पुलिस बल में 12 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि असम में यह 1 प्रतिशत से भी कम है।[4] देखा जाये तो राज्यों में यह अन्तर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से सरकारी प्रयासों के कारण बारह राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं को 30 प्रतिशत या अधिक का आरक्षण देने वाले कानून को अमल में लिया गया हैं।

शोध प्रश्न

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने के पष्चात् षोधार्थी के मन में निम्न प्रष्नों का उद्गार हुआ –

- सामाजिक पृष्ठभूमि में महिला पुलिस की भूमिका क्या है?
- समाज में महिला पुलिस की सहभागिता कैसी है?
- महिला पुलिसकर्मी के समक्ष अपने कार्यक्षेत्र को लेकर किन–किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

II शोध पत्र का उद्देश्य

निम्न प्रष्नों के समाधान हेतु षोधार्थी ने निम्न उद्देष्यों का निर्धारण कर अध्ययन किया। ये उद्देष्य है –

- सामाजिक पृष्ठभूमि में महिला पुलिस की भूमिका का अध्ययन करना।
- समाज में महिला पुलिस की सहभागिता सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करना।
- महिला पुलिसकर्मी के समक्ष कार्यक्षेत्र सम्बन्धित चुनौतियों का अध्ययन करना।

III डेटा संग्रह में प्रयुक्त उपकरण

सम्बन्धित उद्देष्यों के अध्ययन करने के लिए षोधार्थी द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक षोध उपकरणों का प्रयोग किया गया। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं कार्यक्षेत्रिय स्थिति का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित प्रष्नावली का निर्माण किया गया।

IV समस्या वर्णन

पुलिस बल में अधिक महिलाओं की उपस्थिति महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशनों में अच्छा वातावरण बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि महिला पुलिसकर्मी और प्रवर्तन अधिकारी संचार कौशल पर अधिक जोर देते हैं और शारीरिक बल पर कम निर्भरता रखते हैं। इस तरीके को अपनाने से हिंसक या संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को नियंत्रित करने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व किसी भी प्रगतिशील या आधुनिक पुलिस एजेंसी में सभी स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संस्कृति और कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से उस देश या समुदाय में जहाँ यह आम बात हो।[5]

- **महिला पुलिस मॉडल**

संगठन में बेहद अहम भूमिका रखने वाली महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस सुधार की मुख्यधारा में लाने का एक तरीका 'महिला पुलिस मॉडल' नीति विकसित करना है, जो इस संस्था में गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक वर्चस्व को चुनौती दे सकती है। इस मॉडल नीति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि महिलाओं की नियुक्ति पर निर्णय लिंग रूढ़िता से मुक्त हो, ताकि महिलाओं को अग्रणी, मुख्य एवं नेतृत्वकारी भूमिका

में लाया जा सके। साथ ही महिला पुलिस मॉडल के द्वारा पुलिस विभाग के प्रत्येक स्तर पर लैंगिक समानता लाने हेतु महिला पुलिस कर्मियों के लिये कार्य के समान अवसर सृजित करने का प्रयास किया जाये।[6] माडल नीति के अनुसार, पुलिस को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने का काम करना होगा। साथ ही विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति शून्य–सहिष्णुता की नीति लागू करे, ताकि पुलिस सेवा को महिलाओं के लिए एक आदर्श कैरियर विकल्प बनाया जा सके।

- **सामाजिक पृष्ठभूमि में महिला पुलिस की भूमिका**

वर्तमान भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध उच्च स्तर पर हैं और सामाजिक रूप से घातक और शोषणकारी घटनाएँ जैसे दहेज, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और बलात्कार आदि आम हैं। कई बार आपराधिक मामलों पर उचित कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि पीड़ित या पीड़िता उन पुरुष अधिकारियों की असंवेदनशीलता से पीड़ित हो जाते हैं जो संवेदनशील नहीं हैं। पुलिस तंत्र में अधिक महिला अधिकारियों की नियुक्ति इस समस्या को हल कर सकती है।

- **समाज में महिला पुलिस की सहभागिता सम्बन्धी स्थिति**

वास्तव में, आज महिलाओं को सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिल गये हैं, लेकिन महिलाओं ने लंबे समय से उन्ही कामों को चुना जो पितृसतात्मक समाज में महिलाओं के लिए अच्छे थे, जैसे अध्यापन, नर्सिंग, डाक्टरी, रेडियो प्रचारिका, रिसेप्शनिस्ट आदि। सेना और पुलिस में महिलाओं की भूमिका को समझने में अभी समाज को समय लगेगा। देखा जाये तो सभी देशों व समाजों ने हर काम में महिलाओं की भागीदारी स्वीकार की है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा सिर्फ लैंगिक समानता नहीं है। यह कार्यस्थल को लिंग समावेशी बनाने से भी जुड़ा है, जो हर मुसीबत में फंसी महिला को चाहिए।

देश भर की राज्य सरकारें महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने के लिए जागरूक हैं और आरक्षण सहित अन्य उपायों के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। किंतु पुलिस बल में आज भी केवल 7.28 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो अन्य नौकरी जैसे शिक्षण और नर्सिंग से काफी कम है।[7]

- **महिला पुलिसकर्मी के समक्ष कार्यक्षेत्र सम्बन्धित चुनौतियाँ**

लैंगिक रूढ़िवाद, जो महिलाओं को अग्रणी पदों पर नियुक्त करने से रोकती है। यह पूर्वाग्रह सिर्फ पुरुष सहकर्मियों तक सीमित नहीं हैय वरिष्ठ महिला अधिकारी भी कभी–कभी पुरुष सहकर्मियों को कमजोर, काम करने के लिए कम इच्छुक और कम कठोर मानते हैं। इससे महिलाओं को शारीरिक रूप से कम कठिन या डेस्क ड्यूटी देने या उन्हें केवल महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कार्य देने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। महिला पुलिसकर्मियों को प्रायः महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना होता है। साथ ही, महिला कैदियों से जुड़े कार्यों के लिए इन्हें नियुक्त करने की अवधारणा भी उनके हितों के खिलाफ है क्योंकि यह उन्हें प्रमुख पुलिस कार्यों से अलग करती है। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि पुलिस में ज्यादातर महिलाएँ निचले पदों पर हैं, जो महिलाओं की कमी को दर्शाता है।[8] साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक उदासीनता का सामना भी लगातार और व्यापक रूप से करना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं के लिए अलग शौचालयों और अन्य सुविधाओं की कमी, महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल की उचित व्यवस्थाओं की कमी, आदि।

V निष्कर्ष

70 के दशक की शुरुआत में महिला सुरक्षा बलों में शामिल होने से भारतीय पुलिस में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। उस दशक के दौरान हजारों महिलाएँ कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सुरक्षा बलों के सभी स्तरों पर नियुक्त की गयी। पिछले बीस वर्षों में भारत में पुलिस बलों में महिलाओं की भर्ती हुई है, लेकिन व्यावसायिक परिधि में महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदार के रूप में स्वीकार्यता और आत्मसात प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अधिकांश राज्य पुलिस विभागों में महिलाओं के लिये अलग शौचालय और चेंजिंग रूम उपलब्ध कराने के लिए धन दिया गया है।[9] पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार्य और उपयुक्त कॅरियर विकल्प बनाने के लिए भेदभाव और उत्पीड़न शून्य–सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिये। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को विभागों द्वारा सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। आज महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास

दिलाने और नौकरशाही और पुलिस बल में लैंगिकवादी दृष्टिकोणों का मुकाबला करने के लिये सुरक्षा बलों द्वारा संगठनात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।[10] महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करना भारत में पुलिस सुधार की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए ताकि वे परिवर्तन के अग्रदूत बन सकें।

संदर्भ सूची–

[1] https://byjus.com

[2] विश्नोई, डॉ. ओमराज सिंह, ''पुलिस, अपराध तथा दलित'', अरावली बुक्स इण्टरनेशनल प्रा. लि., नई दिल्ली, खण्ड–2, अंक–2, पृष्ठ संख्या–153, वर्ष–2004।

[3] विश्नोई, डॉ० ओमराज सिंह, ''शहरी परिप्रेक्ष्य में महिला पुलिस व संस्कृति'' नई दिल्ली, खण्ड–4, अंक–2, पृष्ठ संख्या–53, वर्ष–1999।

[4] https://www.india.gov.in

[5] विश्नोई, डॉ. ओमराज सिंह, ''सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलायें'', अरावली बुक्स इण्टरनेशनल प्रा. लि., नई दिल्ली, खण्ड–3, अंक–4, पृष्ठ संख्या–15, वर्ष–2001।

[6] https://testbook.com

[7] घोष, एस.के., ''वीमेन इन पुलिसिंग'', लाइट एण्ड लाइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, खण्ड–5, अंक–1, पृष्ठ संख्या–156, वर्ष–1981।

[8] https://cgwcd.gov.in

[9] मैत्रेयी, पुष्पा, ''फाइटर की डायरी'', अर्पित प्रिंटोग्राफर्स, नई दिल्ली, खण्ड–1, अंक–2, पृष्ठ संख्या–251, वर्ष– 2008।

[10] https://vikaspedia.in/InDG